डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता, पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2002 कहलाएगा.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-4 (ग) का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 की धारा-4-ग में उल्लेखित शब्द "तीन सौ" के स्थान पर "दो सौ पचास" स्थापित किये जाएं.

(दो) धारा-4-ग के अन्त में शब्द "उन दिनों के लिए जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं वे प्रतिदिन रुपये 250 की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे," जोड़े जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 की धारा-4 के अनुसरण में विधान सभा सदस्यों को दैनिक भत्ता मंजूर किया जाता है. परन्तु विधान सभा सत्र के दौरान तथा अन्य समितियों में बैठकों में भाग लेने के दौरान उनको भत्ता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है. यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त प्रयोजनों के लिए दैनिक भत्ता प्रदान किया जाए. अतः यह संशोधन संबंधित अधिनियम में लाया जाना आवश्यक है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 21 मार्च, 2002.

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

वर्तमान विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 91 है, जिनमें 31 मंत्रीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें अलग करने पर शेष सदस्यों की संख्या 60 होती है और एक वर्ष में संभावित बैठकों की संख्या 50 होती है जिसके अनुसार प्रत्येक बैठक के दिन के लिए सदस्य को रु. 250/- अतिरिक्त भत्ता देने पर राज्य शासन पर कुल रु. 7,50,000/- वार्षिक आवर्ती वित्तीय भार आवेगा.

(संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा-4-ग के सुसंगत उद्धरण :—

धारा-4-ग—

प्रत्येक सदस्य को 300/- रुपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.